तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु० न० 85/19 मा धोगसिंह उ० मु० दु० V/s DSO	
15-9-20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 0-9 R-9 CPC पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में अपील उनवानी मा धोगसिंह उ० मु० दु० ट्यागरी तहसील नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी। जिसमें तारीख पेशी दि० 4-6-2019 नियत थी किन्तु प्रार्थी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वह बिना अपने अभिभाषक को सूचित किये घर चला गया। दिनांक 22-8-19 को न्यायालय में जानकारी करने पर पाया कि उसकी अपील दिनांक 19-6-19 को ही अदम पैरवी में खारिज कर दी गई है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी बाबत गम्भीरता से करता आ रहा है। अगर अपील को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो अपीलान्ट का अपील करने का मकसद फौत हो जावेगा। प्रार्थी को अपरमित हानि होगी तथा वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया, प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगवाये जाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण दिनांक 19-6-2019 को विचाराधीन अपील अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती हो। अपील दिनांक 19-6-2019 को खारिज हुई है, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी म्याद बाहर पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।	
जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)		PTO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ... हुक्म ... में जा...
	अतः आदेश है कि:- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील खारिज किया जाता है। जिला कलक्टर, भरतपुर (राज०)	

7

12